श्री डी.एल. मीना राज. अधि.
OC

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

188/2017 दिलकौर देवी / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/8/17	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 23/8/17 को पेश हो।	
23/8/17	अभि. अपीलान्ट/रेस्पों उपस्थित पूर्व आदेश की पालना होकर मिसल दिनांक 08/11/17 को पेश हो।	ह. डी.एल. मीना राजकीय अधि. 8/11/17
08.11.17	पत्रावली प्रस्तुत हुयी अधि. रेस्पो. उपस्थित। रेस्पो. की बहस सुनी गयी अपीलार्थी द्वारा पूर्व में बहस की जा चुकी है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.11.17 को पेश हो।	
27/11/17	पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अत: पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 07.12.17 को पेश हो।	
07.12.17	आज पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन प्रकरण का नोटिस अपीलार्थी पर सही तरीके से तामील कराया नहीं गया, जिससे उन्हे सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विक्रय पत्र दिनांक 15/5/2004 की कोई	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

दिलकौर देवी / सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	188/2017	

प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई मात्र फोटो प्रति के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर प्रश्नगत आराजी को सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया जो न्यायोचित नही है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट-2 पैरोकार सरकार ने हमारा ध्यान अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति बेचान पत्र की ओर आकर्षित कर बहस में निवेदन किया कि उक्त बेचान स्पष्ट रूप से जनजाति के व्यक्ति की आराजीयात का सवर्ण जाति के व्यक्ति को हुआ है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (B) का उल्लंघन है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 175 की कार्यवाही करते हुये सही रूप से आराजी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अपील भी निरस्त फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हे सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर नही दिया गया एवं बेचान पत्र की फोटो प्रति के आधार पर निर्णय पारित कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	188/2017 — दिलकौर देवी / सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया जबकी अपीलार्थी एवं द्वारा भी इसी बेचान पत्र की फोटोप्रति अपील में साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत की गई है जिससे भी स्पष्ट है कि बेचान ग्यारसीलाल, जयराम, कल्याणसहाय पुत्र सुण्डाराम जाति मीणा के द्वारा दिलकौर देवी पत्नि श्रीकालूराम जाट को किया गया है जो स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 (बी) का उल्लंघन है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31/1/2008 यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 07.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	